

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): STATE VIGILANCE AND P.S.(थाना): SIRMAUR(NAHAN) Year(वर्ष): 2022
FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0005 Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय): 24/03/2022 17:58 PM

2. S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): Date From(दिनांक से): Date To(दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
(b) Information received at P.S.(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date(दिनांक): 24/03/2022 Time (समय): 16:49 PM
(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ): Entry No.(प्रविष्टि सं.): 006 Time (समय): 24/03/2022 16:49 PM

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH-EAST, 42 Km(s) Beat No(बीट सं.):
(b) Address(पता):
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S(थाना का नाम): District(State)(ज़िला(राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Chaman Lal
(b) Father's Name (पिता का नाम): Manmohan Singh
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): 1992 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
(e) UID No (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)
----------------	-------------------------------	-------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	VILLAGE-Bayas Kotri, TEHSIL-Paonta Sahib, PS-MAJRA, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Permanent Address	VILLAGE-Bayas Kotri, TEHSIL-Paonta Sahib, PS:MAJRA, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थायी पता)
1	Rita Gupta		VILLAGE-Secretary GP Kotri Bayas ,PS-MAJRA,DISTRICT-SIRMAUR,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-Secretary GP Kotri Bayas , TEHSIL-Paonta Sahib,PS-MAJRA, DISTRICT-SIRMAUR,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण नं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
-----------------	-----------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

इस समय एक रूढ़िवादी/शिकायत पत्र, Preliminary verification report सहित अभियोग पंजीकृत करने हेतु बंदस्त आ० नवीन कुमार के थाना में प्राप्त हुआ है। जिसका विवरण इस प्रकार है, -“सेवा में, उप पुलिस अधीक्षक/प्रभारी विजीलेंस थाना नाहन जिला सिरमौर (हि० प्र०) श्रीमान जी, निवेदन इस प्रकार से है की मैंने पुराने प्रधान के कार्यकाल में ग्राम पंचायत कोटडी ब्यास में विभिन्न कार्य हेतु वर्ष 2019, 2020 व 2021 में मैटीरियल सप्लाई रेत बजरी आदि का कार्य किया है इसमें सप्लाई के बिलों का भुगतान जो कि लगभग 1,00,000 रुपये के करीब है। ग्राम पंचायत कोटडी ब्यास में तैनात सचिव श्रीमती रीता गुप्ता उक्त बिलों की अदायगी नहीं कर रही है तथा मुझसे रिश्तत की मांग कर रही है। दिनांक 19-03-22 को सचिव रीता गुप्ता ने मुझसे कहा कि आज मैं आपकी 50-55 हजार के बिलों की अदायगी आपको कर दूंगी परन्तु इसकी एवज में आपको मुझे 16,000/ हजार रुपये कमीशन/रिश्तत के रूप में देने होंगे तथा Payment से पहले आपको Surety के तौर पर 16,000/ हजार रुपये का Blank Check देना होगा जिस पर मैंने सचिव को 16,000/ हजार का एक चेक जिसका नं. 012297 दे दिया है। जिस सचिव ने कहा की मुझे 16,000/ रुपये नकद देकर अपना चेक वापिस ले जाना। दिनांक 19-03-22 को मेरे खाता संख्या 55820100138 में 53,200/ रुपये बिलों की राशी डाल दी गई है। तथा उक्त सचिव अब मुझसे 16,000/ रुपये रिश्तत की मांग कर रही है। जिसने मुझे दिनांक 21.03.22 को भी इसने मुझे फोन करके पैसे के लिए मांग की है। जिसकी रिकोर्डिंग मैंने अपने फोन के मेमोरी कार्ड में सेव कर लिए है। मैं सचिव को रिश्तत की राशी नहीं देना चाहता हूँ इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। Sd/- चमन लाल S/O मन मोहन सिंह गांव ब्यास कोटडी तह० पांवटा साहिब जिला सिरमौर (H.P.) SI Paramjeet Singh for verification and report- Sd/- Inspector Mamta SHO PS SV&ACB Nahana dated 22.03.2022. तसदीक रिपोर्ट शिकायत पत्र अजाने श्री चमन लाल:- महोदय, राजकीय कार्य के सन्दर्भ में निवेदन है कि दिनांक 22-03-2022 को एक शिकायत पत्र श्री चमन लाल पुत्र श्री मनमोहन सिंह, गांव ब्यास, डा० कोटडी-ब्यास, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि० प्र०), Preliminary Verification के लिये प्रभारी थाना ने मन उप निरीक्षक को दिया था। शिकायत कर्ता श्री चमन लाल के उक्त शिकायत पत्र की Preliminary Verification मन उप निरीक्षक द्वारा अमल में लाई गई। शिकायत पत्र में शिकायतकर्ता श्री चमनलाल ने संक्षिप्त आरोप लगाए है कि श्रीमती रीता गुप्ता, सचिव, ग्राम पंचायत कोटडी ब्यास, तहसील पांवटा साहिब, शिकायत कर्ता चमनलाल जो कि निर्माण सामग्री का सप्लायर है, जिसने उक्त ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान के कार्यकाल में उक्त पंचायत को वर्ष 2019-20 व 2020-21 में निर्माण सामग्री (material) सप्लाई की थी, जिनके बिलों के भुगतान लगभग 50/55 हजार रूपयों की अदायगी के एवज में, पंचायत सचिव श्रीमती रीता गुप्ता, 16000/- रूपयों की धनराशि की मांग कर रही है। जिस सम्बन्ध में उक्त सचिव ने शिकायत कर्ता श्री चमन लाल से एक Cheque (Co-operative Bank Branch Majra) जिसमें केवल राशि 16000/- रूपये भरी गई है, Surety के तौर पर अपने पास रखा है तथा शिकायत कर्ता के इस पर हस्ताक्षर हैं। तसदीक पर पाया गया कि शिकायतकर्ता श्री चमन लाल निर्माण सामग्री (रेत-बजरी) इत्यादि की सप्लाई का कार्य करता है, जिसने ग्राम पंचायत कोटडी-ब्यास के विकास कार्यों के निमित्त वर्ष 2019-20 व 2020-21 में लगभग एक लाख रूपये की निर्माण सामग्री की सप्लाई की है। जिसमें से पंचायत सचिव श्रीमती रीता गुप्ता, 50/55 हजार रूपयों की अदायगी हेतु शिकायतकर्ता से 16000/- रूपयों की धनराशि की मांग कर रही है। शिकायतकर्ता श्री चमन लाल के पते की भी तसदीक की गई जो तसदीक पर शिकायतकर्ता ग्राम ब्यास, डा० कोटडी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि० प्र०) का स्थाई निवासी पाया गया। तसदीक के दौरान यह भी पाया गया कि आरोपी/संदिग्ध श्रीमती रीता गुप्ता पिछले करीब दो या ढाई वर्षों से ग्राम पंचायत कार्यालय कोटडी- ब्यास में बतौर पंचायत सचिव कार्यरत है। शिकायत कर्ता तथा आरोपी/संदिग्ध के बीच कोई आपसी रजिश या कानूनी विवाद नहीं है। आरोपी के चरित्र की तसदीक गुप्त रीति से की गई तो पाया गया कि आरोपी/संदिग्ध अवैध रूप से रिश्तत लेने की गतिविधियों में संलग्न है। आरोपी/संदिग्ध सचिव श्रीमती रीता गुप्ता के विरुद्ध काम में टाल-मटोल करने के बारे में पहले भी शिकायत हुई है। शिकायतकर्ता श्री चमन लाल से पैसे की मांग के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता के पास Audio Recording इसके मोबाईल फोन के मेमोरी कार्ड में मौजूद है जो मन उप निरीक्षक ने यह ऑडियो रिकार्डिंग सुनी, जिसमें भी, आरोपी/संदिग्ध श्रीमती रीता गुप्ता, शिकायत कर्ता से उक्त कार्य के एवज में पूर्व में निर्धारित पैसे/रिश्तत देने की मांग कर रही है। आज दिनांक 24-03-2022 को भी आरोपी/संदिग्ध रीता गुप्ता ने शिकायत कर्ता श्री चमन लाल से पैसे की मांग की है। जो शिकायत पत्र की Preliminary Verification के पश्चात शिकायत पत्र में लगाए गये आरोपों की पुष्टि होना पाया गया है। जो शिकायत पत्र Preliminary Verification के आधार पर आरोपी का कृत्य जुर्म निम्न धारा 7 भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम 1988 (As amended in 2018) की जद में आना पाया जा रहा है। अतः आरोपी श्रीमती गुप्ता, सचिव, ग्राम पंचायत कोटडी-ब्यास तह० पांवटा साहिब के विरुद्ध मुकदमा U/S 7 P.C. Act में दर्ज करने की अनुशंसा की जाती है। अतः Preliminary Verification Report आगामी

कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है। Sd/-परमजीत सिंह (उप निरीक्षक) E.O. थाना रा0स0एवं भ्र0 रोधी ब्यूरो, नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) दिनांक, 24-03-2022 कार्यवाही मौका:- सेवा में, प्रभारी थाना SV&ACB नाहन जिला सिरमौर। विषय:- शिकायत पत्र श्री चमन लाल में अभियोग पंजीकृत करने के सन्दर्भ में। श्रीमान जी, राजकीय कार्य से निवेदन है कि दिनांक 22.03.2022 को शिकायतकर्ता श्री चमन लाल पुत्र श्री मनमोहन सिंह, गाँव ब्यास, डा0 कोटडी-ब्यास, तहसील पाँवटा साहिब, जिला सिरमौर ने सचिव ग्राम पंचायत ब्यास कोटडी, श्रीमति रीता गुप्ता द्वारा रिश्तत की मांग करने के सन्दर्भ में महोदय को दिया था जिसे महोदय द्वारा प्री-वेरिफिकेशन के लिये उप-निरीक्षक परमजीत सिंह को सौंपा था। ईमरोज इसी शिकायत पत्र की तसदीक हेतु मन निरीक्षक मय हमराही मुलाजमानों के महोदय के आदेशानुसार मुताविक रपट न. 02 रोजनामचा हजा के नजद कनिषका होटल नजद रैन बैकसी चौक मौजूद था, तो उप निरीक्षक परमजीत सिंह ने शिकायत पत्र श्री चमन लाल उपरोक्त की वेरिफिकेशन रिपोर्ट मन निरीक्षक के पेश की जो तहरीर शिकायत पत्र व वेरिफिकेशन रिपोर्ट उपरोक्त से आरोपी/संदिग्ध श्रीमति रीता गुप्ता सचिव ग्राम पंचायत कोटडी ब्यास के विरुद्ध जर्म जेर धारा 7 of P.C. Act 1988 का वकूह में आना पाया जा रहा है, शिकायत पत्र व वेरिफिकेशन रिपोर्ट को बदस्त आरक्षी नवीन कुमार के मुकदमा दर्ज करने हेतु थाना भेजा जा रहा है। मुकदमा दर्ज करके मुकदमा नम्बर से सूचित करें। मन निरीक्षक कार्यवाही मौका में मशरुफ होता हूँ। Sd/- Insp. Moti Singh PS SV&ACB Nahan Distt Sirmour Camp at Hotel Kanishka Near Ranbaxy Chowk Dt. 24/3/2022 at 2.40 PM. कार्यवाही अज थाना:- आमदा शिकायत पत्र, प्रीवेरिफिकेशन रिपोर्ट व रक्का हरफ ब हरफ जव्ते तहरीर में लाया गया। मजमून वाला से जर्म जेर धारा 7 of PC Act 1988 (as amended in 2018) का वकूह में आना पाया जाकर अभियोग पंजीकृत थाना हजा किया गया। FIR हजा की जरूरी कापियां तैयार की जा रही हैं। जो बगर्ज मुलाहजा अफसरानवाला की सेवा में भेजी जा रही हैं। FIR को ही Special Report समझा जाए। FIR की प्रति इसी समय बदस्त मा0 मु0 आ0 रविन्द्र सिंह के सूचनार्थ Ld. Special Judge Nahan की सेवा में भेजी जा रही है तथा मिसल मुकदमा तैयार करके आ0 नवीन कुमार के पास दी जाकर मौका जाय वकूह का रवाना किया जा रहा है।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है।):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जांच अधिकारी का नाम): Moti Singh Thakur

Rank (पद): INSP. (Inspector)

No(सं.): NA

to take up the investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

District(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C. (आ.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Mamta

Rank (पद): INSP. (Inspector)

No(सं.): NA

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):